न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 19 / 2010 **(RCMS No. 2010/00014)**

वादी

1. पांचूदेवी पुत्री गोमाराम जाति जाट निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुवा पत्नि गोरधनराम (फौत) (ORDER Date 12-1-2017 Deleted)
2. देवा पुत्र गोरधनराम
3. रामनिवास पुत्र गोरधन
4. शंकर पुत्र गोरधन
5. बीदामी पत्नि लालाराम (फौत) (ORDER Date 12-1-2017 Deleted)
6. मोहनराम पुत्र लालाराम
7. कालूराम पुत्र लालाराम
8. नानूराम पुत्र लालाराम
9. प्रभूराम पुत्र कानाराम
10. हनुमान पुत्र कानाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासियान कुकनवाली हाल निवासी नोलासिया तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान
11. गोपाल पुत्र मानाराम
12. प्रभुराम पुत्र मानाराम
13. छोटूराम पुत्र मानाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासियान ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
14. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, भू—विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री दौलत खॉ एवं श्री माणकचन्द अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 9.10.19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुकनवाली की सरहद में आराजी कृषि भू[illegible] रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल भू—प्रबन्धक के नये खसरा नम्बर 60[illegible] रकबा [illegible]45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] खसरा नम्बर 600 रकबा 3.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1104 / 602 रकबा 0.12 हैक्टर नये अंकित हुये है[illegible]क्त भूमि पर गत भू—प्रबन्ध से यानि राजस्थान काश्तकारी [illegible]धिनियम 1955 के ला[illegible] से पूर्व से पहले वादी के पिता स्वर्गीय गोमाराम का कब्जा काश्त था स्वर्गीय गोमाराम का स्वर्गवास होने पर उपरोक्त भूमि पर वादीनी का कब्जा काश्त आज दिन तक निरन्तर निर्बाध रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

...2...

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से चला आ रहा है तथा गत खसरा नम्बर 222 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा मे शेष 1/2 हिस्सा की भूमि जिसके हाल भू–प्रबन्ध के नये खसरा नम्बर 600 रकबा 3.32 हैक्टर खसरा नम्बर 1104/603 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 3.44 हैक्टर भूमि प्रतिवदीगण सं. 11 ता 13 गोपाल प्रभूराम छोटूराम पि. मानाराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है, खसरा नम्बर 604, 605, 1105/603 कुल रकबा 3.65 हैक्टर की गत भू–प्रबन्ध में गलती से प्रतिवादीगण 1 के ससुर व 3 ता 4 के दादा व 9 ता 10 के पिता तथा प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 के दादा स्व. कानाराम पुत्र नाथा के नाम से गलती से दर्ज हो गई तथा गलती से भू–प्रबन्ध का लगान पर्चा कानाराम के नाम से आ गया था स्व. काना पुत्र नाथा गत भू–प्रबन्ध के वक्त ही कुकनवाली गांव छोड़कर नोलासिया चला गय था जहॉ पर उनकी कृषि भूमिया कदीमी आवास स्थित है उपरोक्त खसरा नम्बर 605 604 1105/603 कुल रकबा 3.65 हैक्टर भूमि पर न तो पहले कानाराम का कब्जा काश्त रहा है न ही उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 10 का कब्जा काश्त रहा है केवल मात्र भू–प्रबन्ध की गलती से खातेदारी मे अंकन चला आ रहा है, प्रतिवादी सं. 11 ता 13 की भूमि ग्राम, कुकनवाली के खसरा नम्बर 600 1104/602 कुल रकबा 3.44 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि स्थित है तथा वादीनी के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 605 604 1105/603 कुल रकबा 3.65 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवदीगण सं. 1 से 10 का खसरा नम्बर 604, 605, 1105/603, 600, 1104/602 के किसी भी हिस्सा पर कभी भी कब्जा काश्त पीढ़ी दर पीढ़ी नही रहा है, खसरा नम्बर 605 604 1105/603 कुल रकबा 3.65 जो वादीनी के कब्जे काश्त में पीढ़ी दर पीढ़ी करीबन 60 वर्षो से चली आ रही है वादीनी की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगणो का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, उपरोक्त भूमि में वादिनी की कदीमी रहवासी ढ़ाणी बनी हुई है जिसके खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर है, जिसमें वादीनी पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करती आ रही है तथा उपरोक्त भूमि में बाहजोत करती आ रही है, वादीनी की भूमि मौके पर एक कम्पलीट ब्लॉक मे स्थित है जिसके चारो तरफ बाड़ डोली लगी हुई है प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 का व उनके पिता का वादिनी की उपरोक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी 1 से 10 का उपरोक्त वादिनी की भूमि पर बिना कब्जा काश्त नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है, राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिवादी 1 ता 10 जो उपरोक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार By Opertion of law & Adverse Possession के तहत वादीनी को कानूनन खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त भूमि पर वादीनी [illegible] कानाराम का कब्जा काश्त होने तथा उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी[illegible] के [illegible]ज कानाराम पुत्र नाथाराम बलाई के नाम दर्ज होने पर तहसी[illegible] न्यायालय परबतसर में अन्तर्गत धारा 115 आर.टी.[illegible] 76 पेश किया था जिसमें न्यायालय मे वादिनी के पिता का उपरोक्त भूमि पर दि[illegible] 22.05.1956 के पूर्व का कब्जा मानते हुये वाद खारिज कर दिया गया था जिसकी नकल निर्णय वाद के साथ पेश किया गया। वादीनी के पूर्वज का नाम गिरदावरी में दर्ज होता रहा है, प्रतिवादी 1 ता 10 का परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिछले 60 वर्षो से ग्राम नोलासिया में निवासरत है, हाल ही में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम देखकर कुछ स्वार्थी लोगो के बहकावे में आकर उपरोक्त भूमि को बिना किसी कब्जा काश्त व अधिकार के अजनबी व्यक्तियो को हस्तानान्तरण करने तथा भूमि रहन रखने आदि की धमकिया दे रहे है ऐसा करने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीनी अपने जायज हक हकूको की भूमि से सदा के लिए महरूम रह जायेगी। वादीनी की इस्तदुआ है कि ग्राम औमपुरा की सरहद में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 3.65 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी की घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे तथा ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 600 रकबा 3.32 हैक्टर खसरा नम्बर 1104/602 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 3.44 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी 11 ता 13 को खातेदार काश्तकार बाई मीट्स बाउण्डस घोषित फरमाया जावे एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती व ट्रेस नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी सं. 14 को व उसके एजेण्ट पटवारी हल्का को सादिर फरमाया ज़ावे, राजस्व रेकर्ड में दर्ज कानाराम व लालाराम का नाम हटवाये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 14 को व उसके एजेण्ट पटवारी हल्का को फरमया जावे, प्रतिवादी सं. 1 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार स्याहा राष्ट्रदूत अंक दिनॉक 29.01.2012 तलबी की गई, प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से दिनॉक 02.02.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत 02058–2061,2062–2065, खसार गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021, 2030–2033 नक्शा ट्रेस की नकल, मिलान क्षेत्रफल की नकल, छाया प्रति सरकार जरिये तहसीलदार नावां बनाम काना पुत्र नाथा बलाई वगैरह अ.से. 115 आर.टी.एक्ट. 17.01.77 की आदेशिका प्रति, मौखिक साक्ष्य में वादीया का शपथ–पत्र, गवाह देवाराम, खींवाराम, टोडूराम, भींवाराम के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुये।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, बहस दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है तथा औमपुरा क खसरा नम्बर 604 605 1105/603 कुल रकबा 3.65 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 ता 10 का नाम हटाया जाकर वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किय जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया [illegible] गत खसरा नम्बर 222 के नये खसरा नम्बर 600 रकबा 3.32, खसरा नम्बर 604 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1104/602 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर अंकित हुए। [illegible] की गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013 के अनुसार ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 222 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा बारानी द्वितीय में सुवो मांगू बालू पुत्र हेमो कौम बलाई1/2 मानो पुत्र देवाबक्ष कौम बलाई 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है सम्वत 2014–2017 में माना पुत्र देवबक्ष काना पुत्र नाथा कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बलाई सा. देह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है, सम्वत 2018–2021 में माना पुत्र देवबक्ष काना पुत्र नाथा कौम बलाई सा. देह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है, सम्वत 2030–2033 में माना पुत्र देवबक्ष काना पुत्र नाथा कौम बलाई सा. देह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है, सम्वत 2015, 2016, 2017, 2020, 2031 में गोमा पुत्र बना जाट 1/2 काश्त दर्ज है तथा माना पुत्र देवबक्ष बलाई 1/2 की काश्त दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2058–61 ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 604 605 1105/603 कुल रकबा 3.65 हैक्टर में माना पुत्र देवबक्ष कौम मेघवंशी 1/2 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन मु. झमरी बैवा कानाराम गोवर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि.कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार नामा. 71 दिनॉक 17.04.04 जरिये फौतगी माना के स्थान पर गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. माना कौम मेघवंशी 1/2 शेष खाता बदस्तूर राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन नामा. 111 दि. 17.02.06 द्वारा रहनमुक्त गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. माना कौम मेघवंशी 1/2 का हिस्सा रहनमुक्त किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2058–2061 कुक़नवाली के खसरा नम्बर 600 रकबा 3.32 हैक्टर खसरा नम्बर 1104/602 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 3.44 हैक्टर मे माना पुत्र देवबक्ष कौम मेघवंशी 1/2 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन मु. झमरी बैवा कानाराम गोवर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि.कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार नामा. 485 दिनॉक 17.04.04 जरिये फौतगी माना के स्थान पर गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. माना कौम मेघवंशी 1/2 शेष खाता बदस्तूर राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन नामा. 629 दि. 17.02.06 द्वारा रहनमुक्त गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. काना कौम मेघवंशी 1/2 का हिस्सा रहनमुक्त किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2062–2065 ग्राम औमपुरा औमपुरा के खसरा नम्बर 604 605 1105/603 कुल रकबा 3. 65 हैक्टर में गोपाललाल प्रभूराम छोटूराम पुत्र माना कौम मेघवंशी 1/2 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन मु. झमरी बैवा कानाराम गोवर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि.कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार नामा. 111 दि. 17. 02.06 द्वारा रहनमुक्त गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. माना का हिस्सा रहनमुक्त किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2062–2065 ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 600 रकबा 3. 32 हैक्टर खसरा नम्बर 1104/602 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 3.44 हैक्टर में गोपाललाल प्रभूराम छोटूराम पुत्र माना कौम मेघवंशी 1/2 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन मु. झमरी बैवा कानाराम गोवर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि.कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार नामा. 629 दि. 17. 02.06 द्वारा रहनमुक्त गोपाललाल प्रभुराम छोटूराम पि. माना कौम मेघवंशी 1/2 हिस्सा रहनमुक्त किया गया बाकी खाता बदस्तूर, प्रस्तुत नकल सरकार जरिये तहसीलदार नावां बनाम काना पुत्र नाथा बलाई गोमा पुत्र बना जाट अ.से.115 आर.टी.एक्ट बाबत खसरा नम्बर 222 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा मौजा कुकनवाली में दिनॉक 17.01.1977 आदेश सहायक जिलाधीश प रबतसर की आदेशिका की छाया प्रति प्रस्तुत की है जो साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम अनुसार छाया प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नही है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण 1 ता 10 का उपरोक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आया है वादीनी द्वारा यह साबित नही किया है कि प्रतिवादी इस गांव में निवास नही करते तथा इनका उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, जबकि काना पुत्र नाथा की मृत्यु पर फौतगी नामान्तकरण अनुसार उसके वारिसान मु.झमरी बेवा कानाराम गावेर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि. कानाराम कौम बलाई का नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात लालाराम एवं गोरधन की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान को वाद में स्वयं वादिया द्वारा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में वर्णित प्रावधान मुताबिक अनुसूचित जाति की भूमि पर किसी भी स्थिति में स्वर्ण जाति के व्यक्तियो को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते। अतः वाद वादीया साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादीया साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा. भरा जाकर शामिल मिलस किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 9/10/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या 19/2010 **(RCMS No. 2010/00014)**

वादी

1. पांचूदेवी पुत्री गोमाराम जाति जाट निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुवा पत्नि गोरधनराम (फौत) (ORDER Date 12-1-2017 Deleted)
2. देवा पुत्र गोरधनराम
3. रामनिवास पुत्र गोरधन
4. शंकर पुत्र गोरधन
5. बीदामी पत्नि लालाराम (फौत) (ORDER Date 12-1-2017 Deleted)
6. मोहनराम पुत्र लालाराम
7. कालूराम पुत्र लालाराम
8. नानूराम पुत्र लालाराम
9. प्रभूराम पुत्र कानाराम
10. हनुमान पुत्र कानाराम जाति समस्त मेघवंशी नि. कुकनवाली हाल निवासी नोलासिया तह. नावां
11. गोपाल पुत्र मानाराम
12. प्रभुराम पुत्र मानाराम
13. छोटूराम पुत्र मानाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासियान ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
14. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत **इस्तकरार हक, भू–विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा** 88, 53 व 188 **R.T,Act** 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री माणकचन्द एवं श्री दौलत खॉ अधिवक्ता वादीया की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]किल		
महन्ताना वकिल			[illegible] गव[illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]		
फिस कमि□नर			[illegible]राय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।